राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा

मुकदमा नम्बर 05/2016 दायर दिनांक 11.04.2016

—: अनवानः—

1. पन्नी पत्नि नंदा भील निवासी देबीसिंह जी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़

(प्रार्थी)

बनाम

1. देवा पिता भवाना जाति भील निवासी भाण्ड का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़
2. मु. गेन्दी पत्नि देवा जाति भील निवासी भाण्ड का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़
3. रामलाल पिता मांगु जाति भील निवासी भाण्ड का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़
4. काली पत्नि मांगु जाति भील निवासी भाण्ड का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़
5. रामचन्द्र पिता मांगु जाति भील निवासी भाण्ड का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़
6. छोटुलाल पिता देवा जाति भील निवासी भाण्ड का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़
7. भवरलाल पिता देवा जाति भील निवासी भाण्ड का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़
8. मांगीलाल पिता देवा जाति भील निवासी भाण्ड का खेडा तहसील माण्डलगढ़

(अप्रार्थीगण)

अधिवक्ता प्रार्थी श्री सांवरमल रेबारी अधिवक्ता अप्रार्थीगण श्री कैलाश चन्द्र तम्बोली

निर्णय दिनांक 02.09.2019

पत्रावली पेश हुई उभय पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित है। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया श्रीमती पन्नी पत्नि नंदा भील निवासी देबीसिंह जी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ पेशा कृषि ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया है कि उसके नाम ग्राम भाण्ड का खेड़ा प0 हल्का मुकन्दपुरिया तहसील माण्डलगढ़ की सरहद में स्थित खाता स0 67 की आराजी न0 211/25 रकबा 3 बीघा भूमि स्थित है। जो कि खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण ने पटवारी हल्का मुकन्दपुरिया के आराजियात ग्राम भाण्ड का खेड़ा के आराजी न0 211/25 रकबा 3 बीघा भूमि पर जबरन कब्जा कर रखा है। उक्तानुसार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी रा0 टि0 ए0 के तहत दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीं को नियमानुसार जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश चन्द्र तम्बोली। जवाब हेतु अनेक बार अवसर दिए किन्तु लम्बे समय तक कोई जवाब प्रस्तुत नही किया इसलिए जवाब

तहसीलदार
माण्डलगढ़

बन्द किया जाकर भू0 अभि0 नि0 द्वारा मौका रिपोर्ट मंगायी गयी। भू0 अभि0 नि0 की रिपोर्ट 21.12.2017 में विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा होना बताया। बहस प्रार्थी सुनी गयी जिसमें विवादित भुमि पर विपक्षीगण का कब्जा होना बताया तथा निवेदन किया कि भु0 अभि0 नि0 द्वारा भी विवादित भुमि पर विपक्षीगण का कब्जा होना बताया ऐसी स्थिति में विपक्षीगण का कब्जा हटाया जाकर प्रार्थीया को दिलाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन करने पश्चात एवं रिपोर्ट भू0 अभि0 नि0 के आधार पर विवादित भुमि पर अप्रार्थीगण द्वारा कब्जा किया जाना पूर्ण रुप सें साबित है। ऐसी स्थिति में विवादग्रस्त आराजी से अप्रार्थीगण का कब्जा हटाया जाकर प्रार्थीया को सुपुर्द किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

ग्राम भाण्ड का खेड़ा पटवारी हल्का मुकन्दपुरिया तहसील माण्डलगढ़ की सरहद में स्थित आराजी न0 211/25 रकबा 3 बीघा भूमि का कब्जा अप्रार्थीगण का हटाया जाकर प्रार्थीया को सुपुर्द किए जाने का निर्णय पारित किया जाता है। इस बाबत संबंधित भू0अभिलेख निरीक्षक को अलग से तहरीर जारी की जावे। पत्रावली बाद दाखला सुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 02.09.2019 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले इजलास मे सरे–आम सुनाया गया।

(गोवर्धन लाल बैरवा)
तहसीलदार माण्डलगढ़
जिला भीलवाड़ा

तहसीलदार
माण्डलगढ़

न्यायालय तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा